न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, बागपत ।

वाद संख्या- 168 अन्तर्गत धारा-9(क)(2) जो०च०अधिनियम

श्री कृष्ण महाविद्यालय बालैनी बनाम श्री कृष्ण इन्टर कालिज बालैनी

ग्राम-बालैनी परगना बागपत

तहसील बागपत, जिला बागपत ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद न्यायालय उप-संचालक चकबन्दी, बागपत द्वारा निगरानी संख्या-आर/106 श्री कृष्ण शिक्षा सभा बनाम एस०के० इन्टर कालिज बालैनी में पारित आदेश दिनांक 20-1-2004 के द्वारा इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि पक्षों को सुनकर वाद का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जाये। उक्त आदेश के अनुपालन में, मैंने श्री अशरफी लाल प्रधानाचार्य एस०के० इन्टर कालिज, बालैनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा वादी द्वारा प्रबन्धक श्री कृष्ण इन्टर कालिज बालैनी द्वारा प्रस्ताव सं०-4 का भी अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या-4 के अवलोकन से विदित होता है कि प्रबन्धक समिति श्री कृष्ण इन्टर कालिज बालैनी की बैठक दिनांक 25-4-1996 को उप-प्रधान श्री बेदीराम ने प्रस्ताव किया है कि महामहिम राज्यपाल की घोषणा दिनांक 6-3-1996 के अनुसार श्री कृष्ण इन्टर कालिज के महाविद्यालय होने के कारण इसकी स्थापना हेतु श्री कृष्ण इन्टर कालिज, बालैनी (मेरठ) की भूमि से पुराना गाटा संख्या- 322/1 मि० रकबा 0.987हे० जिसका नया गाटा संख्या- 554 व पुराना गाटा संख्या- 322/2मि० रकबा 0.115हे० जिसका नया गाटा संख्या- 548मि० व पुराना गाटा संख्या- 324मि० रकबा 0.842हे० जिसका नया गाटा संख्या- 541 व पुराना गाटा संख्या- 327/2 रकबा 0.845हे० जिसका नया गाटा संख्या- 548मि० स्कूल से दक्षिण की तरफ व पुराना गाटा संख्या- 330/2 रकबा 0.125हे० जिसका नया गाटा संख्या- 548मि० व पुराना गाटा संख्या- 330/1 रकबा 0.115हे० जिसका नया गाटा संख्या- 544ह व पुराना गाटा संख्या- 333/1 रकबा 0.305हे० जिसका नया गाटा संख्या- 548मि० स्कूल से दक्षिण की तरफ कुल क्षेत्रफल 3.334हे० जिसका नक्शा नजरी मानचित्र साथ में संलग्न है, श्री कृष्ण महाविद्यालय बालैनी (मेरठ) के नाम नामान्तरण किया जाय। इस प्रस्ताव का अनुमोदन प्रबन्धक कमेटी के सदस्य जगमाल ने किया है। प्रबन्ध कमेटी श्री कृष्ण इन्टर कालिज बालैनी (मेरठ) ने यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया है कि उक्त खसरा नम्बर श्री कृष्ण इन्टर कालिज के नाम से श्री कृष्ण महाविद्यालय बालैनी (मेरठ) को नामान्तरण किया जावे। नामान्तरण के गाटा संख्या-व क्षेत्रफल

की सूची निम्न प्रकार है।

नया गाटा संख्या	पुराना गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में ।
1- 554	322/1	0.987
2- 548मि0	322/2	0.115
3- 541	324	0.842
4- 548मि0	327/2	0.845
5- 548मि0	330/2	0.125
6- 544	330/1	0.115
7- 548मि0	333/1	0.305
कुल 7 किता	कुल रकबा	3.334 हे0

मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत प्रकरण श्री कृष्ण इन्टर कालिज, बालैनी (मेरठ) को उच्चीकृत कर श्री कृष्ण महाविद्यालय बालैनी (मेरठ) की स्थापना से सम्बन्धित है तथा श्री कृष्ण इन्टर कालिज, बालैनी (मेरठ) के नाम दर्ज भूमि के अंश भाग पर जिसका उल्लेख विद्यालय की प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव दिनांक - 25-4-1996 में किया गया है, श्री कृष्ण इन्टर कालिज बालैनी (मेरठ) के स्थान पर श्री कृष्ण महाविद्यालय बालैनी (मेरठ) का नाम दर्ज किये जाने से सम्बन्धित है । इस प्रकरण में, मैंने एस0के0 इन्टर कालिज बालैनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या-4 का भी विधिवत रूप से अवलोकन किया तथा पाया कि यह मामला अन्तरण का न होकर अभिलेख दुरस्ती का है । पत्रावली पर प्रस्तुत इन्तखाब खतौनी 1396 ता 1401 फसली में खाता संख्या-13 पर विवादित भूमि श्री कृष्ण इन्टर कालिज, बालैनी (मेरठ) के नाम बतौर सं0भू0 अंकित है और इसी संस्था को महाविद्यालय के रूप में उच्चीकृत किया गया है । इस प्रकार यह मामला संस्था विशेष के स्तर के उच्चीकरण का है, जो अभिलेख दुरस्ती के परिक्षेत्र में आता है । अतः यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण अन्तरण का न होकर अभिलेख दुरस्ती का है । वादी अशरफी लाल प्रधानाचार्य एस0के0 इन्टर का0 बालैनी (मेरठ) के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रश्नगत प्रस्ताव जनहित से सम्बन्धित है क्योंकि बालैनी क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र है जिसमें मेरठ से बागपत व बड़ौत के क्षेत्र में कोई डिग्री कालिज नहीं है तथा जनता शैक्षिक उन्नयन हेतु ऐसी संस्था का

होना आवश्यक है और इसके औचित्य को पाते हुये ही न केवल उप- शिक्षा निदेशक प्रथम, मण्डल मेरठ द्वारा महा विद्यालय की स्थापना दीगयी है, बल्कि प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा श्री श्री कृष्ण इन्टर कालिज बालैनी (मेरठ) को उच्चीकृत करके डिग्री कालिज की स्थापना हेतु रु0 10 लाख की सहायता दिये जाने की घोषणा की गयी है । इस प्रकार स्पष्ट विदित है कि श्री कृष्ण इन्टर कालिज बालैनी (मेरठ) व श्री कृष्ण महाविद्यालय बालैनी (मेरठ) दोनो की प्रबन्ध समिति एक है और यह मामला श्री कृष्ण इन्टर कालिज बालैनी के उच्चीकृत करके श्री कृष्ण महाविद्यालय बालैनी (मेरठ) को प्रबन्ध समिति के सर्व सम्मति से पास प्रस्ताव संख्या-4 दिनांक 25-4-1996 के अनुपालन में है । अतः प्रबन्धक श्री कृष्ण इन्टर कालिज बालैनी (मेरठ) द्वारा प्रस्ताव सं0 4 की सत्य प्रतिलिपि के आधार पर आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आदेश हुआ ।

आदेश

ग्राम बालैनी, परगना बागपत, तहसील व जिला बागपत के नई खाता खतौनी संख्या-667 में अंकित नई गाटा संख्या-541 रकबा 0.842 है0 व गाटा संख्या-554 रकबा 0.987है0 व गाटा संख्या-544 रकबा 0.115है0 व गाटा संख्या- 548 रकबा 2.765है0 में से केवल 1.390है0 कुल 4 किता रकबा 3.334है0 से श्री कृष्ण इन्टर कालिज का नाम खारिज करके बजरिये प्रबन्ध समिति श्री कृष्ण इन्टर कालिज बालैनी, की बैठक दिनांक 25-4-1996 प्रस्ताव संख्या-4 के द्वारा श्री कृष्ण महाविद्यालय बालैनी (मेरठ) का नाम सं0भू0 दर्ज किया जाय । लिपिक तद्नुसार दो प्रतियों में परवाना अमल दरामद हेतु जारी करें । बाद परवाना जारी होने पर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय ।

चकबन्दी अधिकारी,
बागपत।

दिनांक :- 26-3-2004

2/4/04
2/4/04
2/4/04
2/4/04

प्रबन्धक
श्री कृष्ण महावि...